

# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :-2010/2023

शम्भू सिंह सोलंकी

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. रजिस्ट्रार, राजस्व मण्डल, अजमेर, राजस्थान।
3. जिला कलक्टर, जिला जालौर।
4. तहसीलदार जसवंतपुरा, जिला जालोर।
5. दशरथ सिंह, कार्यव्यवस्थार्थ कार्यरत नायब तहसीलदार, तखतगढ, जिला पाली।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 11.08.2023

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश कुमावत, अधिवक्ता  
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)  
शुचि शर्मा, सदस्य

## आदेश

1. अपीलार्थी ने इस अपील में यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी वर्तमान में कार्यव्यवस्थार्थ नायब तहसीलदार के पद पर रामसीन, जिला जालौर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 31.07.2023 (अनुलग्नक-1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण कार्यव्यवस्थार्थ नायब तहसीलदार तखतगढ जिला पाली के पद पर किया गया। वर्तमान स्थानान्तरण आदेश प्रत्यर्थी विभाग ने भारतीय निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार किया जाना बताया है, जबकि भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये दिशा-निर्देश दिनांक 02.06.2023 से केवलमात्र उन्हीं कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया जा सकता है जो चुनाव से सीधे प्रकार से जुड़े हो और जिनका पदस्थापन गृह जिले में हो अथवा जिन्हें वर्तमान पद पर पदस्थापन हुये 3 वर्ष से अधिक समय हो गया हो। अतः भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी उक्त दिशा-निर्देश दिनांक 02.06.2023 अपीलार्थी पर लागू नहीं होता है, क्योंकि अपीलार्थी वर्तमान स्थान पर दिनांक 22.08.2022 को ही पदस्थापित हुआ था। अपीलार्थी को अल्पसमय में ही स्थानान्तरित किया जा रहा है, जो गलत है। इसके साथ ही अपीलार्थी का स्थानान्तरण पर प्रतिबंध की अवधि में किया गया है।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि आदेश दिनांक 31.07.2023 पूर्णतः प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं व्यापक जनहित को देखते हुये नियमानुसार राज्यहित में निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसरण में जारी किया गया है, उक्त आदेश में किसी भी प्रकार से कोई अवैधता एवं नियमों का उल्लंघन नहीं है तथा ना ही उक्त आदेश दुर्भावनापूर्ण आशय से जारी किया गया है। नायब तहसीलदार

रामसीन एईआरओ का पद है। इस प्रकार अपीलार्थी सीधे प्रकार से निर्वाचन के कार्य से जुड़ा हुआ है। उन्होंने यह भी कथन किया है कि जिले में 3 वर्ष से अधिक समय से पदस्थापित होने के कारण अपीलार्थी का स्थानान्तरण/पदस्थापन विधानसभा आम चुनाव 2023 के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग का पत्र क्रमांक 437/6/1/आईएनएसटी/ईसीआई/एफयूएनसीटी/एमसीसी/2023 दिनांक 02.06.2023, 22.02.2019 एवं निर्वाचन अधिकारी राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक 1010 दिनांक 02.06.2023, 2658 दिनांक 04.07.2023 एवं क्रमांक 1050 दिनांक के क्रम में राजस्व (ग्रुप-1) विभाग जयपुर के पत्र क्रमांक प.7(1) राज-1/ 2015 दिनांक 31.07.2023 की पालना में किया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर से अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 29.05.2023 के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में अंकित प्रत्येक बिन्दुओं के संबंध में विधान सभा चुनाव से जुड़े ऐसे तहसीलदार/नायब तहसीलदार जिनका गृह विधान सभा क्षेत्र हो, जिनका गृह जिला हो या जिनकी सेवा अवधि गत 4 वर्षों में से 3 वर्ष से अधिक हो गयी हो एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान, जयपुर निर्वाचन विभाग से प्राप्त पत्र क्रमांक 1010 दिनांक 02.06.2023 एवं भारत निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक 437/6/1/आईएनएसटी/ईसीआई/एफयूएनसीटी/एमसीसी/2023 दिनांक 02.06.2023 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना में राजस्व (ग्रुप-1) विभाग जयपुर के पत्र क्रमांक प.7 (1) राज- 1/2015 दिनांक 31.07.2023 के क्रम में राजस्व मण्डल का स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश क्रमांक 3626 दिनांक 31.07.2023 जारी किया गया है।

3. दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया गया। अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग ने एईआरओ के पद पर होना बताया है। इस प्रकार अपीलार्थी सीधे प्रकार से चुनाव कार्य से जुड़ा हुआ है। जहां तक स्थानांतरण पर प्रतिबंध का प्रश्न है, उक्त प्रतिबंध का आदेश प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग द्वारा आदेश दिनांक 04.01.2023 जारी कर लागू किया है। वर्तमान स्थानांतरण भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा दिया गया पत्र दिनांक 02.06.2023 के परिप्रेक्ष्य में किये गये हैं। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग का आदेश केवलमात्र डाइरेक्ट्री है, जिसे भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा दिया गया आदेश 02.06.2023 की पालना में किये गये स्थानांतरण पर लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 02.06.2023 राज्य सरकार पर बाध्यकारी है। आलोच्य आदेश विधानसभा आम चुनाव 2023 को देखते हुए राज्यहित व प्रशासनिक कारणों से किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।
4. परिणामस्वरूप इस अपील में कोई बल नहीं होने से यह अपील खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)  
सदस्य

(अनन्त भंडारी)  
सदस्य(न्यायिक)